

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक :- २०११ / १५५ मुजफ्फरनगर दिनांक, ११-१२-२०१९।
सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक

सेतु निगम इकाई,

सहारनपुर।

विषय:-

जनपद मुजफ्फरनगर में सेतु निगम सहारनपुर ग्राम-कवाल में अपर गंगा कैनल पर पुल निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड (एस०एच०-१२ए) के कि०मी० १५ से १६ के किनारे ०.३१ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित २१ बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक- ८बी०/यू०पी०/०६/१७/२०१९ /एफ०सी०/४३२ दिनांक- २९.११.२०१९ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-११सी-१११२/११सी-FP/UP/Road/35985/2018 दिनांक ०४.१२.२०१९।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक २९.११.२०१९ द्वारा ग्राम- कवाल में अपर गंगा कैनल पर पुल निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड (एस०एच०-१२ए) के कि०मी० १५ से १६ के किनारे ०.३१ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित २१ बाधक वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों पर प्रदान की गयी है। अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक २९.११.२०१९ में दी गयी शर्तों के अनुरूप आपसे निम्नानुसार धनराशि / अभिलेखों की मांग की जाती है-

१-शर्त संख्या-२ के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित वन भूमि के (०.३१×१०००) ३१० वृक्षों का रोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं। यद्यपि प्रस्ताव में परियोजना में बाधक २१ वृक्षों के १० गुने अर्थात् २१० वृक्षों के रोपण एवं आगामी १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु रुपये-१,८३,२६०.०० की परियोजना सम्मिलित कर प्रेषित की गयी थी। परन्तु अब भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक-२९.११.२०१९ की शर्त संख्या-२ में दिये गये निर्देशों के अनुसार ३१० वृक्षों के रोपण एवं आगामी १० वर्षों के रख-रखाव हेतु आगणित आवश्यक धनराशि- रुपये-२,७०,५३०.००

(रुपये दो लाख सत्तर हजार पांच सौ तीस मात्र)

२-शर्त संख्या-४

(क) मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) २०२/१९९५ के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-५६६ एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार प्रस्तावित ०.३१ है० संरक्षित वन भूमि का शुद्धवर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि- रुपये-१,९४,०६०.००

(रुपये एक लाख चौरानवे हजार साठ मात्र)

(ख) उपरोक्त वर्णित क्रमशः क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि ऑनलाईन उत्पन्न चालान के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, Management and Planing Authority(CAMPA) उत्तर प्रदेश के खाता संख्या-५२०१०१२६३७४३७३६,कार्पोरेशन बैंक, सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, फेज-१ लोधी रोड नई दिल्ली आई०एफ०एस०सी० कोड -CORP0000371 में जमा कराकर पोर्टल पर उत्पन्न ई-रसीद ०५ प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ग) इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वो यदि एन०पी०वी० की दरों में वृद्धोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण/सेतु निगम इकाई द्वारा जमा की जायगी।
क्रमशः.....२

लखनऊ

- 3- शर्त संख्या -5 के अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करे कि विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।
 - 4- शर्त संख्या -6 के अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करे कि भू-क्षरण एवं जल जमाव को रोकने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना व्यय पर समुचित कार्यावाही की जायेगी।
 - 5- शर्त संख्या -7 के अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करे कि प्रकरण में पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो, प्राप्त की जायेगी।
 - 6- शर्त संख्या -8 के अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करे कि प्रकरण में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति लेने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र 11-106/2014-एफओसीओ(P.T) दिनांक 20.05.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
 - 7- शर्त संख्या -9 के अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करे कि प्रकरण में अभिकरण द्वारा आवश्यक भूकल्लिखित परियोजना व्यय पर किया जायेगा।
 - 8- शर्त संख्या -10 के अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करे कि प्रस्तावित स्थल में बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
 - 9- शर्त संख्या -11 के अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करे कि आवगमन एवं परियोजना के लिए सामग्री ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल के अतिरिक्त नये मार्ग के निर्माण नहीं किया जायेगा।
 - 10- शर्त संख्या -12 के अनुपालन में इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करे कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
- अतः उपरोक्त बिन्दु संख्या-1 एवं 2 द्वारा वांछित क्रमशः क्षतिपूरक वनीकरण एवं शुद्धवर्तमान मूल्य (एनओवीओ) की धनराशि ऑनलाईन ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान द्वारा जमा कराकर इसकी ऑनलाईन उत्पन्न की ई-रसीद 05 प्रतियों में एवं अन्य समस्त सूचनाएँ / वचनबद्धताएँ 05 प्रतियों में संलग्न कर सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 29.11.2019 की अनुपालन आख्या शीघ्रता शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे, ताकि अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित कर प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति जारी करने हेतु अनुरोध किया जा सके।


(सूरज)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

संख्या / दिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।


(सूरज)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

जनपद मुजफ्फरनगर में उ०प्र० सेतु निर्माण इकाई सहारनपुर द्वारा मुजफ्फरनगर-जानसठ मार्ग (एस०एच०-12ए कि०मी० 15 व 16) के निकट ग्राम-कवाल, ऊपरी गंगानहर पर पुल निर्माण एवं उसके सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.310 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव हेतु 310 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण की परियोजना

स्थल का नाम-कैलापुर वन ब्लाक (वन्य जीव विहार क्षेत्र)

रेज का नाम- जानसठ

भूमि का प्रकार- खोला

रोपित की जाने वाली पौध सं० 310 पौध

श्रमिक दर -175 प्रति दिन

क्र० सं०	कार्य का मद	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अ०दर का
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य कराना	प्रति ह०	0.62	83.00	51.46	1.2
2	क्षेत्र की झाड़ियों को काटकर क्षेत्र से बाहर एवं एकत्रित कर जलाना (अत्याधिक झाड़ियाँ)	प्रति ह०	0.62	3462.00	2146.44	2.1.2
3	गड़ढों का रेखांकन कार्य कराना	प्रति ग०	310	0.35	108.50	3.2
4	सुरक्षा खाई का रेखांकन कार्य कराना	प्रति मी०	500	0.40	200.00	3.4
5	अग्नि गृदा कार्य					
	गड़ढों का खुदान (साईज-0.60×0.60×0.60 मी०)	प्रति ग०	310	16.60	5146.00	4.11.1
	सुरक्षा खाई का खुदान (साईज-1.20×1.20×1.20 मी०)	प्रति ग०	500	58.30	29150.00	4.1.1
6	वृक्षारोपण बोर्ड बनवाना	प्रति	1	0.00	5000.00	
7	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति			8197.60	
	योग				50000.00	
	आगामी दरों में वृद्धि की सम्भावना के कारण हुई वृद्धि 10 प्रतिशत			(+)	5000.00	
	कुल योग-				55000.00	

द्वितीय वृक्षारोपण कार्य

क्र० सं०	कार्य का मद	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अ०दर का क्रमांक
1	गड़ढों का भरान (साईज-0.60×0.60×0.60 मी०)	प्रति	310	1.10	341.00	5.1.1
2	सुरक्षा खाई की ड्रेसिंग कर दो लाईनों में बीज बुआन	प्रति मी०	500	6.63	3315.00	6.1.3
3	पौध का ढुलान कार्य कराना 3 प्रतिशत अतिरिक्त एच०डी०पी०ई० बेग (दूरी 21 से 30 कि०मी०)	प्रति	320	21.77	6966.40	9.1
4	पौधारोपण कार्य मथ तुरन्त सिचाई व थावला बनाने सहित	प्रति	310	7.88	2442.80	10.1.2
5	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना 03 बार	प्रति	930	1.20	1116.00	11.1.1
6	थावले बनाना व मिट्टी चढाना 02 बार	प्रति	620	0.79	489.80	12
7	पौधों की सिचाई कार्य 10 बार	प्रति	3100	2.10	6510.00	14.1.2
8	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि से बचाव हेतु घास कटायी 02 बार	प्रति	1.00	2866.00	2866.00	16.0
9	पौधों का मूल्य	प्रति	310	80.00	24800.00	
10	बीज का मूल्य / एकत्रीकरण	प्रति	0	0.00	100.00	
11	अन्य आकस्मिक व्यय / कीटनाशक / उर्वरक	प्रति			3053.00	
	कुल योग				52000.00	
	आगामी दरों में वृद्धि की सम्भावना के कारण हुई वृद्धि 10 प्रतिशत			(+)	5200.00	
	कुल योग-				57200.00	

प्रथम अनुरक्षण

क्र० सं०	कार्य का मद	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अ०दर का क्रमांक
1	असफल गडढो के लिए मिट्टी ढीली करना	प्रति पौध	31	10.00	310.00	18.1
2	पौधों का ढलान कार्य दूरी 02 से 10 तक	प्रति पौध	31	21.77	674.87	9.1
3	पौधों का रोपण	प्रति पौध	31	7.88	244.28	18.2.2
4	पौधों की निराई खुदाई (3 बार)	प्रति पौध	930	1.20	1116.00	11.1.4
5	पौधों की थावला बन्दी (2 बार)	प्रति है०	620	0.79	489.80	12
6	पौधों की सिचाई (10 बार)	प्रति है०	3100	2.10	6510.00	14.1.5
7	पौधों की पूर्णिक करना (तृतीय वर्ष)	प्रति है०	200	2.76	552.00	15
8	वृक्षारोपण को अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान (2 बार)	प्रति है०	1.00	2866	2866.00	16
9	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति है०		2850	2237.05	
	कुल योग				15000.00	
	आगामी दरों में वृद्धि की सम्भावना के कारण हुई वृद्धि 10 प्रतिशत			(+)	1500.00	
	कुल योग—				16500.00	

द्वितीय अनुरक्षण

क्र० सं०	कार्य का मद	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अ०दर का क्रमांक
1	पौधों की सिचाई कार्य कराना 10 बार	प्रति पौध	3100	2.10	6510.00	14.1.2
2	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना 03 बार	प्रति पौध	930	1.20	1116.00	11.1.1
3	थावले बनाना व मिट्टी चढाना 02 बार	प्रति पौध	620	0.79	489.80	12.0
4	पौधों की पूर्णिक कार्य कराना (दो वर्षीय)	प्रति पौध	200	4.12	824.00	15.2
5	वृक्षारोपण के अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान 02 बार	प्रति है०	1.00	2866	2866.00	16
6	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति			3194.20	
	कुल योग				15000.00	
	आगामी दरों में वृद्धि की सम्भावना के कारण हुई वृद्धि 10 प्रतिशत			(+)	1500.00	
	कुल योग—				16500.00	

तृतीय अनुरक्षण

क्र० सं०	कार्य का मद	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अ०दर का क्रमांक
1	पौधों की सिचाई कार्य कराना 10 बार	प्रति पौध	3100	2.10	6510.00	14.1.2
2	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना 03 बार	प्रति पौध	930	1.20	1116.00	11.1.1
3	थावले बनाना व मिट्टी चढाना 02 बार	प्रति पौध	620	0.79	489.80	12.0
4	पौधों की पूर्णिक कार्य कराना (दो वर्षीय)	प्रति पौध	200	4.12	824.00	15.2
5	वृक्षारोपण के अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान 02 बार	प्रति है०	1.00	2866	2866.00	16
6	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति			3194.20	
	कुल योग				15000.00	
	आगामी दरों में वृद्धि की सम्भावना के कारण हुई वृद्धि 10 प्रतिशत			(+)	1500.00	
	कुल योग—				16500.00	

चतुर्थ अनुरक्षण

क्र० सं०	कार्य का मद	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अ०दर का क्रमांक
1	पौधों की सिचाई कार्य कराना 10 बार	प्रति पौध	3100	2.10	6510.00	14.1.2
2	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना 03 बार	प्रति पौध	930	1.20	1116.00	11.1.1
3	थावले बनाना व मिट्टी चढाना 02 बार	प्रति पौध	620	0.79	489.80	12.0
4	पौधों की पूर्णिक कार्य कराना (दो वर्षीय)	प्रति पौध	200	4.12	824.00	15.2
5	वृक्षारोपण के अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान 02 बार	प्रति है०	1.00	2866	2866.00	16
6	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति			3194.20	
	कुल योग				15000.00	
	आगामी दरों में वृद्धि की सम्भावना के कारण हुई वृद्धि 10 प्रतिशत			(+)	1500.00	
	कुल योग—				16500.00	

पंचम अनुरक्षण

क्र० सं०	कार्य का मद	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अ०दर का क्रमांक
1	पौधों की सिचाई कार्य कराना 10 बार	प्रति पौध	3100	2.10	6510.00	14.1.2
2	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना 03 बार	प्रति पौध	930	1.20	1116.00	11.1.1
3	थावले बनाना व मिट्टी चढाना 02 बार	प्रति पौध	620	0.79	489.80	12.0
4	पौधों की पूर्णिक कार्य कराना (दो वर्षीय)	प्रति पौध	200	4.12	824.00	15.2
5	वृक्षारोपण के अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान 02 बार	प्रति है०	1.00	2866	2866.00	16
6	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति			3194.20	
	कुल योग				15000.00	
	आगामी दरों में वृद्धि की सम्भावना के कारण हुई वृद्धि 10 प्रतिशत			(+)	1500.00	
				कुल योग-	16500.00	

षष्ठम अनुरक्षण

क्र० सं०	कार्य का मद	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अ०दर का क्रमांक
1	पौधों की सिचाई कार्य कराना 10 बार	प्रति पौध	3100	2.10	6510.00	14.1.2
2	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना 03 बार	प्रति पौध	930	1.20	1116.00	11.1.1
3	थावले बनाना व मिट्टी चढाना 02 बार	प्रति पौध	620	0.79	489.80	12.0
4	पौधों की पूर्णिक कार्य कराना (दो वर्षीय)	प्रति पौध	200	4.12	824.00	15.2
5	वृक्षारोपण के अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान 02 बार	प्रति है०	1.00	2866	2866.00	16
6	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति			3194.20	
	कुल योग				15000.00	
	आगामी दरों में वृद्धि की सम्भावना के कारण हुई वृद्धि 10 प्रतिशत			(+)	1500.00	
				कुल योग-	16500.00	

सप्तम अनुरक्षण

क्र० सं०	कार्य का मद	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अ०दर का क्रमांक
1	पौधों की सिचाई कार्य कराना 10 बार	प्रति पौध	3100	2.10	6510.00	14.1.2
2	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना 03 बार	प्रति पौध	930	1.20	1116.00	11.1.1
3	थावले बनाना व मिट्टी चढाना 02 बार	प्रति पौध	620	0.79	489.80	12.0
4	पौधों की पूर्णिक कार्य कराना (दो वर्षीय)	प्रति पौध	200	4.12	824.00	15.2
5	वृक्षारोपण के अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान 02 बार	प्रति है०	1.00	2866	2866.00	16
6	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति			3194.20	
	कुल योग				15000.00	
	आगामी दरों में वृद्धि की सम्भावना के कारण हुई वृद्धि 10 प्रतिशत			(+)	1500.00	
				कुल योग-	16500.00	

अष्टम अनुरक्षण

क्र० सं०	कार्य का मद	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अ०दर का क्रमांक
1	पौधों की सिचाई कार्य कराना 10 बार	प्रति पौध	3100	2.10	6510.00	14.1.2
2	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना 03 बार	प्रति पौध	930	1.20	1116.00	11.1.1
3	थावले बनाना व मिट्टी चढाना 02 बार	प्रति पौध	620	0.79	489.80	12.0
4	पौधों की पूर्णिक कार्य कराना (दो वर्षीय)	प्रति पौध	200	4.12	824.00	15.2
5	वृक्षारोपण के अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान 02 बार	प्रति है०	1.00	2866	2866.00	16
6	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति			3194.20	
	कुल योग				15000.00	
	आगामी दरों में वृद्धि की सम्भावना के कारण हुई वृद्धि 10 प्रतिशत			(+)	1500.00	
				कुल योग-	16500.00	

नवम अनुरक्षण

क्र० सं०	कार्य का मद	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अ०दर का क्रमांक
1	पौधों की सिंचाई कार्य कराना 10 बार	प्रति पौध	3100	2.10	6510.00	14.1.2
2	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना 03 बार	प्रति पौध	930	1.20	1116.00	11.1.1
3	धावले बनाना व गिट्टी चढाना 02 बार	प्रति पौध	620	0.79	489.80	12.0
4	पौधों की पूर्णिग कार्य कराना (दो वर्षीय)	प्रति पौध	200	4.12	824.00	15.2
5	वृक्षारोपण के अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान 02 बार	प्रति है०	1.00	2866	2866.00	16
6	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति			3194.20	
	कुल योग				15000.00	
	आगामी दरों में वृद्धि की सम्भावना के कारण हुई वृद्धि 10 प्रतिशत (+)				1500.00	
				कुल योग—	16500.00	

दशम अनुरक्षण

क्र० सं०	कार्य का मद	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि	अ०दर का क्रमांक
						14.1.2
2	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य कराना 03 बार	प्रति पौध	930	1.20	1116.00	11.1.1
3	धावले बनाना व गिट्टी चढाना 02 बार	प्रति पौध	620	0.79	489.80	12.0
4	पौधों की पूर्णिग कार्य कराना (दो वर्षीय)	प्रति पौध	200	4.12	824.00	15.2
5	वृक्षारोपण के अग्नि से बचाव हेतु झाड़ी कटान 02 बार	प्रति है०	1.00	2866	2866.00	16
6	अन्य आकस्मिक व्यय	प्रति			3640.20	
	कुल योग				8936.00	
	आगामी दरों में वृद्धि की सम्भावना के कारण हुई वृद्धि 10 प्रतिशत (+)				893.60	
				कुल योग—	9829.60	

क्षतिपूरक वनीकरण योजना का सारांश

क्र०सं	कार्य का विवरण	धनराशि
1	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य	55000.00
2	द्वितीय वर्ष वृक्षारोपण कार्य	57200.00
3	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	16500.00
4	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	16500.00
5	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	16500.00
6	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	16500.00
7	पंचम वर्ष अनुरक्षण	16500.00
8	छठा वर्ष अनुरक्षण	16500.00
9	सातवा वर्ष अनुरक्षण	16500.00
10	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	16500.00
11	नवम वर्ष अनुरक्षण कार्य	16500.00
12	दसवा वर्ष अनुरक्षण कार्य	9829.60
	योग—	270529.60
	या—	270530.00

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।